[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना
संख्या 02/2024-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 5 जनवरी, 2024

सा.का.नि.....(अ).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफ़ारिशों पर केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2024 है ।

(2) ये 31 दिसंबर, 2023 को प्रवृत हुए समझे जाएंगे ।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में, नियम 80 में, -

(क) उपनियम (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएंगे, अर्थात् :-

"(1ख) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के लिए जिनके कारोबार का मूल स्थान तमिलनाडु राज्य में चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, तिरुनेलवेली, तेनकासी, कन्याकुमारी, थूथुकुडी और विरुधुनगर जिले में है, के लिए वित्तीय वर्ष 2022-2023 के स्थान पर उक्त वार्षिक विवरणी 10 जनवरी, 2024 पर या पूर्व प्रस्तुत की जाएगी ।";

(ख) उपनियम (3क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3ख) उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के लिए जिनके कारोबार का मूल स्थान तमिलनाडु राज्य में चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, तिरुनेलवेली, तेनकासी, कन्याकुमारी, थूथुकुडी और विरुधुनगर जिले में है, के लिए वित्तीय वर्ष 2022-2023 के स्थान पर उक्त स्व-प्रमाणित समाधान विवरण 10 जनवरी, 2024 पर या पूर्व उक्त वार्षिक विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा";

[फा.सं. सीबीआईसी-20006/1/2024-जीएसटी]

(राघवेंद्र पाल सिंह)
निदेशक

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या 3/2017- केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 में संख्या सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 52/2023- केंद्रीय कर, तारीख 26 अक्टूबर, 2023 द्वारा संख्या सा.का.नि. 798(अ), तारीख 26 अक्टूबर, 2023 द्वारा किया गया ।